श्री नंदी येल्लैया: सभापति महोदय, आप तो जानते ही हैं कि आम तौर से रेल में यात्रा करने वाले लोगों की शिकायत होती है कि इनक्वायरी का क्या सिस्टम है! मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इनक्वायरी के कितने टेलीफोन काम कर रहे हैं? इसके बारे में लागों की बहुत सी शिकायतें हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य रेल में कम और विमान में अधिक यात्रा करते हैं लेकिन मेजॉरिटी में जो लोग रेल में यात्रा करते हैं, उनकी टिकट कन्फर्मेशन के संबंध में काफी शिकायतें हैं, इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके पास इनक्वायरी के कितने टेलीफोन लगे हुए हैं?

श्री सभापति: यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।

SHRI R. VELU: Sir, hon. Member's complaint is about the telephones. It is for this reason that we are transferring telephones to computerised system and other modes of modern technology. I think manual system attracts all kinds of criticisms. That is why we are transferring it to the modern technology.

Cost of AIDS and cancer drugs

*168. SHRI UDAY PRATAP SINGH: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that the life saving medicines for treatment of HIV/AIDS and Cancer are not under price control;

(b) if so, whether Government have conducted any survey to ascertain the cost of these medicines in the open market and the margin being offered by the companies to the distributors and the retailers; and

(c) whether Government propose to bring strict monitoring on these drugs?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) monitors the prices of non-Scheduled medicines on the basis of ORG data. Whenever abnormal increases in the prices are noticed, NPPA takes appropriate action under the provisions of the Drugs (Prices Control)

Order, 1995. The Government will examine all possibilities of reviewing the existing policy.

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय सभापति जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लाखों लोगों की ज़िंदगी से संबंधित है।

श्री सभापति: क्या आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपको दवाइयाँ नहीं मिलीं?

श्री उदय प्रताप सिंह: लेकिन सर, दूसरों का दर्द भी अपना दर्द होता है और यदि यह बात है तो आप मेरा एक शेर सुन लीजिए-

''आपके दिल का दर्द भी ज़रूर कम होगा,
किसी के पांव का कांटा निकालकर देखो।''

तो साहब, हम दूसरों का दर्द भी अपना समझते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल था लेकिन उसका माननीय मंत्री जी ने नकारात्मक जवाब दिया है। जो तीसरा सवाल हमने पूछा था कि क्या सरकार भविष्य में इसकी तरफ ध्यान देने के लिए कोई योजना रखती है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ड्रग कंट्रोलर उसको देख रहे हैं और जब ज़रूरत होगी, तो हम करेंगे। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस मामले को हल्के तौर पर न ले। यह बीमारी ऐसी है जिसको लोग छिपाने की कोशिश करते हैं और इसलिए जो दवा बेचने वाले लोग हैं, वे अनाप-शनाप भावों में दवा बेचते हैं और कई लोग उसे खरीद न पाने के कारण समय से पूर्व मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसलिए मैं इसके संबंध में आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए और इसके लिए कोई प्रभावी कदम उठाया जाए। वह कब तक उठाया जाएगा, इसका जवाब भी दिया जाए।

श्री राम विलास पासवान: सर, अभी तक जो कानून हैं, उनके मुताबिक जो मूल्य रखा गया है, वह सिर्फ टर्नओवर पर रखा गया है कि टर्नओवर कितना है। चार करोड़ का टर्नओवर बनाया गया है। फिर अभी तक कौन-कौन सी जीवन-रक्षक दवाइयां हैं, हमारा जो काम है, जहां दवाई बनाते हैं, वहां और प्राइस तक ही हमारा लिमिटेशन है। फिर उसके बाद आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का संबंध कि कौन-कौन सी दवाइयां जीवन-रक्षक दवाइयां हैं? तो उसके लिए जो नियम है, वह इस नियम के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हमने उसको कहा है, लेकिन माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हमने अभी मीटिंग की है और 27 तारीख को हम स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर से भी हमारी बातचीत चल रही है। जो ऐसेंशियल ड्रग्ज़ हैं - अभी केवल 74 ड्रग्ज़ हैं जो अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि जितने भी ऐसेंशियल ड्रग्ज़ हैं, उन सारे के सारे ड्रग्ज़ को हम अंडर कंट्रोल रखेंगे और हम सिर्फ दवाई के मूल्य को ही नहीं देखेंगे बल्कि किस किस्म

की दवाई है, जीवन-रक्षक दवाई है या एच.आई.वी. या कैंसर की है, इनको भी कंट्रोल में लेकर, उसमें शामिल किया जाए, इस पर भी हम विचार कर रहे हैं।

AIDS Treatment Programme

*169. SHRIMATI N.P. DURGA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that AIDS Treatment Programme has started from 1st April, 2004, in the country; and

(b) if so, the details of States and the number of patients in each State covered under this programme?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMADOSS): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The treatment of AIDS cases with anti-retroviral drug, free of cost was started in India with effect from 1st April, 2004. In the first phase, it has been introduced in six high prevalence States and National Capital Territory of Delhi through 8 Government hospitals. The number of patients covered in each of these States as on 30th June, 2004, is as follows:

As on 30th June 2004

Name of States	Name of the Institutions Providing ART	No. of patients
Tamil Nadu	Institution of Thoracic Medicine, Tambaram	310
Manipur	Regional Institute of Medical Science, Imphal	272
Maharashtra	Sir J.J. Hospital, Mumbai	152
Andhra Pradesh	Osmania Medical College, Hyderabad	119
Delhi	LNJP Hospital, Delhi & R.M.L. Hospital	118
Karnataka	Bangalore Medical College, Bangalore	64
Nagaland (Started from 16th May)	District Naga Hospital, Kohima	12
	TOTAL	1047